खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

निर्णय

दिनांक : 13 अगस्त, 2019

यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–12–2003 अपील सं0 230/2002 बउनवानी गोपीदास बनाम मन्नूदास के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– गिनरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी मन्नूदास ने एक वाद इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 682 जिसके हाल बन्दोबस्त नम्बर 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1508, 1509 रकबा 52 बीघा वाके ग्राम सलावद तहसील नादौती में स्थित है जिसके साबिक नम्बरान 953, 1663, 1706, 1712, 1714 व 1662 हैं। यह आराजी सांवलदास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिसकी मृत्यु सम्वत् 2008 में हो गई थी। उक्त आराजी को सांवलदास के फौत होने के बाद वादी लगातार बतौर मालिक काश्त करते चले आ रहे हैं तथा सरकार लगान अदा कर रहे हैं। कर्मचारियों की गलती से उक्त आराजी की खातेदारी सांवदास की बेवा मु0 केसरदेवी के नाम हो गयी जबकि कानूनन वक्त के मुताबिक सांवलदास की मृत्यु के बाद उसकी सम्पूर्ण आराजीयात की खातेदारी पिता भगतदास व उसके बाद वादी के नाम होनी चाहिए क्योंकि जयपुर टिनेन्सी एक्ट जो कि दि0 1–2–1946 को तथा स्टेट ग्रान्ट्स लैण्ड टिन्यूर एक्ट दि0 25–1–1947 को प्रभाव में आया उस समय सांवलदास खातेदार काश्तकार था और उक्त दोनों अधिनियमों के प्रावधान लागू होते थे। मु0 केसरदेवी का उक्त प्रश्नगत आराजी में किसी प्रकार का कोई हक नहीं था। अब केसरदेवी की मृत्यु हो चुकी है और उक्त आराजीयात का जो गलत इन्द्राज मु0 केसरदेवी के नाम चला आ रहा था उसको प्रतिवादी नं0 3 ने फर्जी वसीयतनामा दि0 17–9–1975 के आधार

	निगरानी/एल.आर./6082/2003/करौली गोपीदास बनाम मन्नूदास व अन्य	तारीख हुक्म
	पर अपने नाम करा लिया और जब प्रतिवादी नं0 1 ल0 6 से मिलकर गलत व अवैद्यानिक तरीके से वादी को उक्त आराजी से बेदखल कर आराजी हड़पना चाहता है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वसीयत फर्जी है जिस पर केसरदेवी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। अतः उक्त वसीयत फर्जी व प्रभावहीन है जिसकी आड़ में प्रतिवादीगण वादी को बेदखल कर देगें। इसलिए उन्हें पाबन्द किया जावें। विद्धान विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने जवाब दावा प्रस्तुत किया किन्तु उसके बाद उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय बहस सुनी जाकर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 13–12–2002 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिसकी प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर में प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–12–2003 से अपीलांट की अपील खारिज करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दि0 31–12–2002 यथावत रखा गया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 22–12–2003 से व्यथित होकर निगराकार ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3– दोनो पक्षो के विद्धान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गयी। 4– विद्धान अधिवक्ता निगराकार का तर्क है कि प्रश्नगत आराजी सांवलदास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो गलत प्रकार से केसरदेवी के नाम दर्ज कर दी जबकि वादी मन्नूदास का पिता मगनदास पुत्र होने से उत्तराधिकारी है। केसरदेवी ने दिनांक 17–9–1975 को प्रतिवादी नं0 3 रामप्रकास के हक में वसीयत कर दी तथा वसीयत के आधार पर आराजी रामप्रकास के दर्ज हुई। वादी मन्नूदास से गोद की कहीं भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा काश्त करते मन्नूदास को नहीं देखा। विचारण न्यायालय ने किसी भी बिन्दू को डिस्कस नहीं किया। सेटलमेन्ट के इन्द्राज के आधार पर दावा डिक्री किया था। तहत न्यायालय ने तनकीयात का सही विवेचन नहीं किया। दावा दायरी के दिन राजस्व अभिलेख में तब्दीली करने का सैटलमेन्ट को कोई अधिकार नहीं था। निगराकार ने लगान की रसीदें प्रस्तुत कर अपना कब्जा सिद्ध किया है कि वही खातेदार काश्तकार है। गैर निगराकार का कब्जा नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय दि0 22–12–2003 व विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दि0 31–12–2002 अपास्त किये जावें। 5– इसके विपरीत विद्धान अधिवक्ता गैर निगराकार का तर्क है कि	

	निगरानी/एल.आर./6082/2003/करौली गोपीदास बनाम मन्नूदास व अन्य	तारीख हुक्म
	वादग्रस्त आराजी सांवलदास की खातेदारी की है। सांवलदास चेला पंचम दास 2008 में फौत होने पर यह आराजी तीन जगह पर्चे कायम हुए। प्रतिवादी रामप्रकाश सांवलदास की आराजी में आकर आराजी पर क्लेम करता है। यह दादूपंथी का प्रकरण है। मन्नूदास ने सांवलदास के चार ओढ़ी है। दादूपंथियों में चार ओढ़ाने से मालिक हो जाता है। सम्वत् 2009 में मदनदास चेला सांवलदास रेकार्ड में दर्ज है जिसे कभी भी चैलेन्ज नहीं किया गया। जयपुर टिनेन्सी एक्ट के सैक्शन 17 के अनुसार पुत्र के रहते हुए विधवा व लड़की को अधिकार नहीं हैं। उत्तराधिकार अबेयन्स में नहीं रह सकता। सक्शेसन एक्ट 1956 में फोर्स में आया उसमें केसरा के नाम कभी जमीन नहीं रही है। सन् 1975 में वसीयत होना बताया है और 1977 में नामान्तकरण खोला गया जिसे खारिज कर दिया क्योंकि वसीयत साबित नहीं हुई। वसीयतनामा से निगराकार को कोई अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। इसलिए अपीलीय न्यायालय व विचारण न्यायालय ने जो निर्णय पारित किये हैं वे विधिनुकूल एवं कानून सम्मत होने से निगराकार की निगरानी काबिज खारिज योग्य है। 6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–12–2002 में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 में दर्ज नोट से साबित है। वादी खातेदार काश्तकार रेकार्ड में दर्ज है। वादी को इन्द्राज दुरूस्ती की रिलीफ दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित एवं न्यायसंगत माना है तथा वादी का वाद काबिल डिक्री योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22–12–2003 में माना कि सांवलदास की खातेदारी की प्रश्नगत आराजी में मु0 केसरी बाई को तत्कालीन जयपुर टिनेन्सी एक्ट में उत्तराधिकारी के रूप में खातेदारी अधिकार विधिसम्मत प्राप्त नहीं होने से रामप्रकाश के पक्ष में मु0 केसरीबाई द्धारा दिनांक 17–9–1975 को की गई वसीयत से अपीलांट रामप्रकाश को कोई अधिकार अर्जित नहीं होने से प्रार्थना पत्र 212 व अपील खारिज की गई है। 7– जैसाकि स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 22–12–2003 प्रकरण सं0 230/2002 के विरूद्ध मण्डल	

	<u>निगरानी/एल.आर./6082/2003/करौली</u> गोपीदास बनाम मन्नूदास व अन्य	तारीख हुक्म
	के समक्ष अपील सं0 6129/2003 में आज दिनांक 13–8–2019 को निर्णय पारित किया जा चुका है जिसके अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को पुष्ट किया गया है। मण्डल के समक्ष यह निगरानी प्रश्नगत भूमि पर तहसीलदार नादौती को रिसीवर नियुक्त करने व आराजी को कब्जे राज लेने के लिए प्रस्तुत की गई है। चूंकि वादपत्र से संबंधित मूल अपील सं0 6129/2003 को निस्तारित किया जा चुका है। अतः मूल अपील का निर्णय हो जाने से रिसीवर संबंधी यह निगरानी प्रभावहीन हो जाती है। अतः यह निगरानी प्रभावहीन होने से इस आशय के साथ खारिज की जाती है। 8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में निगराकार की निगरानी खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–12–2003 व उप जिला कलक्टर, हिण्डोन सिटी के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2002 यथावत रखें जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **(शिखर अग्रवाल)** **सदस्य** **सदस्य**	

	निगरानी/एल.आर./6082/2003/करौली गोपीदास बनाम मन्नूदास व अन्य	तारीख हुक्म